<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी:— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 11 / 2023
श्री गिरिराज सिंह पुत्र श्री मूलचन्द सैनी, निवासी ढाणी सुन्दरी ग्राम चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

<u>आदेश</u>

दिनांक 25.01.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.01.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 11 / 2023 पर दिनांक 10.01.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2023 / 128—29 दिनांक 10.01.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 23 / 51 दिनांक 12.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री गिरिराज सिंह पुत्र श्री मूलचन्द सैनी, निवासी ढाणी सुन्दरी ग्राम चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 447 दिनांक 19.10.2022 के द्वारा इकाई रिटर्निंग अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झुंझुनूं को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया। उक्त क्रम मे कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक [illegible] दिनांक 11.11.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए [illegible] सोसाईटी के निर्वाचन से संबंधित दस्तावेज अधिनियम 2001 के नियम 45(25) के तहत सील्ड कर रिकार्ड मे जमा होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी [illegible] अपील खारीज फरमायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.08 16:31:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

(18)

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/23/51 दिनांक 12.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री गिरिराज सिंह पुत्र श्री मूलचन्द सैनी, निवासी ढाणी सुन्दरी ग्राम चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/447 दिनांक 19.10.2022 के द्वारा इकाई रिटर्निंग अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झुंझुनूं को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया। उक्त क्रम मे कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 2809 दिनांक 11.11.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि सोसाईटी के निर्वाचन से संबंधित दस्तावेज अधिनियम 2001 के नियम 45(25) के तहत सील्ड कर रिकार्ड मे जमा होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.08 16:31:05 IST
Reason: SelfAttested